



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 646 / SEIAA/2021

Date: 1/6/22

प्रति,

श्री मनोहर कुमावत
आत्मज श्री गिरधारी लाल कुमावत,
निवासी-120, करमदी रोड़,
तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.)

विषय :- प्रकरण क्रमांक 9181/2022 - परियोजना प्रस्तावक श्री सत्येन्द्र सिंह परमार आत्मज स्व. श्री धर्मसिंह परमार, निवासी-55/98, रजतपथ मानसरोवर जयपुर (राज.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 1.60 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10476 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 172, ग्राम सरवनीखुर्द, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री मनोहर कुमावत आत्मज श्री गिरधारी लाल कुमावत, निवासी-120, करमदी रोड़, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

प्रकरण पर 728वीं SEIAA बैठक दिनांक 27.05.2022 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया

".....राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत विचार चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज हस्तांतरण आदेश दिनांक 20.12.2019 से 02 वर्ष विलम्ब से पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन क्यों किया गया, इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करें।"

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में कृपया लीज हस्तांतरण आदेश दिनांक 20.12.2019 से 02 वर्ष विलम्ब से पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन क्यों किया गया के संबंध में कारण स्पष्ट करें, तदनुसार प्रकरण पर पुर्नविचार हतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी